

सं०सं०-03/यो०-सं०क०-48/2023/..... 52

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 15.4.2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित संबल उप योजना के अन्तर्गत बेटा बचाओ-बेटी पढाओ योजना के संचालनार्थ रू० 1290.01 लाख (बारह करोड नब्बे लाख एक हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बालिकाओं के शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल विकास, तकनीकी विकास आदि के माध्यम से सशक्त कर उन्हें समाज के अन्य प्रक्षेत्रों यथा खेल-कूद, व्यायाम, आत्मरक्षा इत्यादि से जोड़ते हुए उनका सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना के अन्तर्गत बेटा बचाओ-बेटी पढाओ योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मिशन शक्ति के तहत संबल उप योजना अन्तर्गत बेटा बचाओ-बेटी पढाओ योजना के संचालनार्थ कुल रू० 1290.01 लाख (बारह करोड नब्बे लाख एक हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	CSS Code/ SLS Code	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मिशन शक्ति (सम्बल)- बेटा बचाओ-बेटी पढाओ (विपत्र कोड - 51-2235021030231)	3979/ BR223	0231.31.04, 31.06	1290.01
कुल रू० (बारह करोड नब्बे लाख एक हजार रू० मात्र)				1290.01

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं0- 3/यो-संक०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं0-29/टि0 पर दिनांक-15-04-2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो-संक०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं0-30/टि0 पर दिनांक-15-04-2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

15/4/26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 03/यो०-संक०-48/2023 /..... /..... 52 /दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस.,/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 03/यो०-संक०-48/2023 /..... /..... 52 /दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 03/यो०-संक०-48/2023 /..... /..... 52 /दिनांक- 15.4.2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/4/26

अपर सचिव।